राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2586/2011/हनुमानगढ़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–बी, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स लक्ष्मण दास सुरेन्द्र कुमार,
संगरिया, हनुमानगढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस. के. ओझा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 21/4/2014

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 24/आरवेट/हनुमानगढ़/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.2.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, सीमा प्रबन्धन साधुवाली, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनाक 18.2.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 18.2.2009 को संगरिया में वाहन संख्या पी.बी.05/एच–9633 को चैक किये जाने पर वाहन में **गुड़** बिजनौर (यू.पी.) से संगरिया (हनुमानगढ़) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित चालान संख्या 78 दिनांक 16.2.2009 एवं बिल्टी संख्या 113 दिनांक 16.2.2009 प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का होने एवं माल के साथ घोषणा–पत्र वेट–47 उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.8.2008 द्वारा माल परिवहन के दौरान घोषणा पत्र

लगातार.....2

वैट—47 प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट—47 संख्या 1569982 भी प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी के उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुये अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 54,900/— आरोपित करने का आदेश दिनांक 18.2.2009 पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.2.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक का कथन है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रत्यर्थी की ओर से परिवहनित अधिसूचित माल के साथ घोषणा पत्र वेट—47 नहीं पाया गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अधिसूचित माल का परिवहन किये जाने के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के अर्न्तगत शास्ति आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित था। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टांत (2007) 18 टैक्स अपडेट 321** अनुसार वेट अधिनियम की धारा 76(2) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उक्त विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किए बिना ही विधिनुसार आरोपित की गयी शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.12(15) वित्त/कर/2008/ पार्ट—3 दिनांक 30.8.2008 द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वेट 47 माल के साथ संलग्न नहीं होने पर भी व्यवहारियों के विरूद्ध शास्ति का आरोपण नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जो दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी थे। अतः राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय संबंधी आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी प्रत्यर्थी के परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ

लगातार.....3

घोषणा पत्र वेट–47 संलग्न नहीं होने के आधार पर, सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित करना अविधिक होने के कारण, सक्षम अधिकारी के शास्ति आरोपण के आदेश को अपास्त किए जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में दिनांक 18.2.2009 को सक्षम अधिकारी की चैकिंग के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा परिवहनित अधिसूचित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वेट–47 संलग्न नहीं पाये जाने पर, अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 के द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा प्ररूप वेट–47 एवं वेट–49 माल के साथ नहीं होने पर भी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश हैं तथा उक्त आदेश दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी रहा है। अतः राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच दिनांक 18.2.2009 को परिवहनित विवादित माल के साथ घोषणा पत्र वेट–47 नहीं होने पर, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए, प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के प्रत्यर्थी के विरूद्ध आरोपित शास्ति को अपास्त किए जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
21/04/14